संचिका सं0–12/प0–09–32/2015 – 525 (12)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंकर प्रसाद
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

विषयः–बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा जिलों/ चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में आपूर्ति की जा रही औषधियों की अधिप्राप्ति स्वीकार करने के संबंध में।

प्रसंगः–राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक–3917 दिनांक 27.05.20124

पटना, दिनांक– 05-08-2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार चिकित्सा सेवाएँ आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–BMSICL/40025/01-2012/577 दिनांक 21.05.2014 के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यालय के पत्रांक–3917 दिनांक 27.05.2014 द्वारा निदेशित किया गया था कि बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम से न्यूनतम् 50% Shelf Life तक की औषधियाँ प्राप्त की जा सकती है।

2. वर्तमान में जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों आदि की अनुपलब्धता है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिलों में स्थानीय स्तर पर दवाओं का क्रय किया जा रहा है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा औषधियों आदि की नये सिरे से आपूर्ति हेतु प्रकाशित निविदा अभी प्रक्रियाधीन है।

3. सरकार के द्वारा 'राज्य क्रय संगठन' के रूप में बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की स्थापना की गयी है। BMSICL दर अनुमोदित

निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से केन्द्रीयकृत रूप से दवा एवं अन्य सामग्रियॉ प्राप्त कर जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में व्ययादेशित मात्रा में आपूर्ति करता है। निगम के सरकारी वेयर हाउस (भूगृहादि) में औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली 1945 के Schedule 'P' में औषधियों के लिए निर्धारित तिथिवाद की अधिकतम अवधि के अनुरूप औषधियों को भंडारित करने के उपरांत जिलों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को औषधियों की आपूर्ति की जा रही है। ऐसी स्थिति में दवाओं के न्यूनतम Shelf life एवं तिथिवाद होने से संबंधित बिन्दु का अनुपालन करने की जिम्मेदारी BMSICL की है क्योंकि BMSICL First point Procurement Agency है न कि जिला एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल।

उल्लेखनीय है कि BMSICL द्वारा जिलों के सिविल सर्जन को दवा की आपूर्ति करने के पश्चात् पुनः सिविल सर्जन द्वारा अपने जिलें के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों को दवा आपूर्ति करने के दौरान औषधियों की Shelf life उत्तरोत्तर न्यूनतम् होती जाती है और अन्त में उनके तिथिवाद होने की संभावना बढ़ जाती है।

4. उक्त के आलोक में जनहित में राज्य के अस्पतालों में औषधियों की उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के भूगृहादि में भंडारित औषधियों, जिनके अवसान की तिथि शेष है, की आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है।

5 बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम द्वारा दवाओं का क्रय सम्पूर्ण राज्य के सरकारी अस्पतालों के लिए अनुमानित खपत के आधार पर करते हुये भंडारित किया जाता है ताकि जिलों के सिविल सर्जन द्वारा आवश्यकतानुसार औषधियों की आपूर्ति BMSICL से समय–समय पर प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया में यह संभावित है कि दवाओं की खपत क्रय किये गये मात्रा के अनुरूप नहीं हो। ऐसी स्थिति में BMSICL द्वारा जिलों को आपूर्ति की जा रही औषधियों के तिथिवाद होने पर इसकी सूचना BMSICL को देना सुनिश्चित किया जाय ताकि तिथिवाद हो चुकी औषधियों का भंडार हस्तान्तरण (Stock transfer) आदि के निमित्त अनुवर्ती कार्रवाई निगम के स्तर से ससमय किया जा सके। BMSICL द्वारा आपूर्ति की गई दवाई यदि Expire होती है तो उन्हें वापस लेने की जिम्मेवारी BMSICL लेगा।

6. चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक एवं सिविल सर्जन द्वारा स्थानीय क्रय समिति के माध्यम से क्रय किये गये औषधियों एवं चिकित्सीय सामग्रियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। वैसे मामलों में पूर्व में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक–3917 दिनांक 27.05.2014 में अंकित शेष शर्ते यथावत् रहेंगे और इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा औषधि एवं अंगरांग अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली,

1945 के Schedule 'P' में औषधियों के लिए निर्धारित तिथिवाद के अधिकतम् अवधि के अनुरूप जिलों में औषधियों को भंडारित किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(शंकर प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 525 (12) /पटना, दिनांक – 05 – 08 – /2015

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि तिथिवाद अवधि से सम्बन्धित दवाओं की सूचना प्राप्त होते ही उसके स्टॉक ट्रान्सफर आदि सम्बन्धी अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक (प्रोक्योरमेंट), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/सभी जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8
विशेष कार्य पदाधिकारी।